

प्रेस विज्ञप्ति

भोपाल 9 जनवरी 2014। राष्ट्रीय सेक्यूलर मंच ने गुजरात पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड के विरुद्ध अपराध कायम करने की हरकत की तीव्र शब्दों में निंदा की है। यहां जारी एक वक्तव्य में मंच के संयोजक एल.एस. हरदेनिया ने कहा है कि यह सबको ज्ञात है कि तीस्ता, दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक लंबे समय से संघर्षरत हैं। उन्होंने इस उद्देश्य से अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं। यह उनके ही प्रयासों के कारण है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामले चालू हुए हैं। स्पष्ट है यह बात गुजरात के सत्ताधारियों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए सिर्फ आतंकित करने के लिए पुलिस ने यह निंदनीय हरकत की है। मंच, उन्हें डराने के लिए उठाए गए इस निंदनीय कदम की भर्त्सना करता है और शीघ्र वापस लेने की मांग करता है।

एक ओर तीस्ता के विरुद्ध आनन-फानन अपराध दर्ज कर लिया गया वहीं आई.ए.एस. अधिकारी प्रदीप शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध की गई शिकायत को दर्ज करने से गुजरात की पुलिस ने इंकार कर दिया है। गुजरात की पुलिस इस बात को भूल गई है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि किसी भी हालत में पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती। मंच की मांग है कि उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिन्होंने प्रदीप शर्मा द्वारा दी गई शिकायत को दर्ज करने से इंकार किया है।

संपादक महोदय,

कृपया उक्त समाचार अपने प्रतिष्ठित समाचारपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।